पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

7वॉ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ , गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ 226002 :e- mail : tshq@up.nic.in

पत्र संख्या: टीएससी–25 / 2021 दिनांक: सितम्बर 09, 2025

आदेश

उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली (यथासंशोधित)–2011 तथा शासनादेश संख्या: 13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड चयनवर्ष–2021 के रिक्ति के सापेक्ष कुल 06 कर्मियों का कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 27–12–2024 के द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप मुहरबंद लिफाफे को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में निम्नलिखित कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने पर तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके कनिष्ठ (विजय कुमार, वर्तमान में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–बी, पीएनओ–142470091, नियुक्ति जनपद–देवरिया) की तिथि से कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–बी के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

S.No.	PNO	Candidate Name	Father's Name	DOB	Present Posting	Selection Year
1	142390133	KUSHWAJEET KUMAR GUPTA	LT. RAMESH PRASAD GUPTA	1988-02-02	JHANSI	2021

3– पदोन्नति प्राप्त उपरोक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। उपरोक्त कार्मिकों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर कर्मचारी वर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली–2011 (यथासंशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

4– पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड–ए से संलग्न प्रारूप–(क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13 / 21 / 89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के खण्ड–2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ–

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप–पत्र जारी किया जा चुका है।

9/9/25

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियाँ सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के विरुद्ध विद्यमान न हों।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-5 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक की पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में कोई तथ्य असत्य अंकित किया जाता है अथवा छिपाया जाता है तो सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट https://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक- प्रारूप-(क)

9/9/25

(के0 एस0 इमैन्युअल)
पुलिस महानिरीक्षक,
आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन,
कृते- पुलिस महानिरीक्षक,
तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

6. अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
7. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0।
8. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-झांसी, उ0प्र0।
9. प्रभारी वेबसाइट श्रीमती इन्दूरानी, नि:संवर्गीय सहायक प्रोग्रामर, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. श्री शुभेन्द्र सिंह राठौर, सहा0उ0नि0 को डाटा में अंकन हेतु।

प्रारूप–क

स्व–घोषणा–पत्र

मैं...(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र...निवासी.. थाना.....................................जनपद...वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) ....नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि–

1. मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधि कार्यवाही की जाए, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जाएगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान–
दिनांक–

यदि सम्बन्धित कर्मी के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जाएगा–

1. वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण ....
2. मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई...में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक....................................... को आरोप पत्र दिया गया है।
3. मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0–... धारा... थाना.. जनपद... में लम्बित है, जिसमें दिनांक................................को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी... द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग ....वर्तमान में.. स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान–
दिनांक–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट– स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप के काट (X) दिया जाए।